

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्रसाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 179]

नई दिल्ली, सोमवार, मई 7, 1973/वैशाख 17, 1895

No. 179]

NEW DELHI, MONDAY, MAY 7, 1973/VAISAKHA 17, 1895

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed
as a separate compilation.

MINISTRY OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT

ORDER

New Delhi, the 7th May 1973

S.O. 269(E)/18A/IDRA 73.—Whereas the Central Government is of the opinion that Messrs Arthur Butler and Company (Mozufferpore) Limited, Mozufferpore (Bihar), an industrial undertaking in respect of which an investigation has been made under section 15 of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951) is being managed in a manner highly detrimental to the scheduled industry concerned, namely, Railway Rolling Stock ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of section 18A of the said Act, the Central Government hereby authorises Shri J. Sahai, Superintendent, Mechanical Workshops, Kharipur South Eastern Railway (hereinafter referred to as Authorised Controller) to take over the management of the whole of the said industrial undertaking, namely, Arthur Butler and Company (Mozufferpore) Limited, Mozufferpore, subject to the following terms and conditions, namely:—

- (i) The authorised Controller shall comply with all directions issued from time to time by the Central Government ;
- (ii) The Authorised Controller shall hold office for five years from the date of publication in the Official Gazette of this order ,
- (iii) The Central Government may terminate the appointment of the Authorised Controller earlier if it considers necessary to do so.

2. This order shall have effect for a period of five years commencing from the date of its publication in the Official Gazette.

[No. F. 25/14/72-C.U.C.]

D. K. SAXENA Jt. Secy.

औद्योगिक विकास मंत्रालय

आदेश

नई दिल्ली, 7 मई 1973

का० आ० 269 (अ)/18ए/आई डी आर ए/73.—यतः केन्द्रीय सरकार की राय है कि मैसर्स आर्थर बटलर एण्ड कम्पनी (मुजफ्फरपुर) लिमिटेड, मुजफ्फरपुर (बिहार), औद्योगिक उपक्रम का प्रबन्ध, जिसकी बाबत अन्वेषण, उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 15 के अधीन किया गया है, इस रीति से किया जा रहा है, जो संबद्ध अनुसूची उद्योग, अर्थात् रेलवे रॉलिंग स्टॉक, के लिए अति अहितकर है;

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 18क की उपधारा (1) के खंड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, श्री जे० सहाय अधीक्षक, यांत्रिक कर्मशाला, खड़गपुर दक्षिण पूर्व रेलवे (जिसे इसमें इसके पश्चात् प्राधिकृत नियंत्रक कहा गया है) को उक्त औद्योगिक उपक्रम, अर्थात् आर्थर बटलर एण्ड कम्पनी (मुजफ्फरपुर) लिमिटेड, मुजफ्फरपुर, का समस्त प्रबंध निम्नलिखित निबन्धों और शर्तों के अधीन ग्रहण करने के लिए प्राधिकृत करती है, अर्थात्:—

- (i) प्राधिकृत नियंत्रक केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए सभी निदेशों का अनुपालन करेगा;
 - (ii) प्राधिकृत नियंत्रक इस आदेश के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से पांच वर्ष के लिये पद धारण करेगा;
 - (iii) केन्द्रीय सरकार, यदि ऐसा करना आवश्यक समझे तो, प्राधिकृत नियंत्रक की नियुक्ति पहले ही समाप्त कर सकेगी।
2. यह आदेश राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से पांच वर्ष की अवधि के लिए प्रभावी होगा।

[सं० फा० 25/14/72—सी०यू०सी०]

डी० के० सक्सेना, संयुक्त सचिव।